NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No :14 /NCRES/76/23 Date : 3.1.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— RELHS लाभार्थियों द्वारा FMA से OPD या OPD से FMA के विकल्प बदलने का उपयोग न कर पाना।

संदर्भः—(1) NCRES PNM मद संख्या 17/5/2018
(2) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 137/2022 दिनांक 27.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि NCRES ने अपने PNM मद संख्या 17/5/2018 के द्वारा RELHS लाभार्थियों को FMA से OPD के विकल्प बदल सकने का मौका देने की मांग की थी। इसके पश्चात NCRES/NFIR ने रेलवे बोर्ड में भी यह मुद्दा उठाया जिसके पश्चात रेलवे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र संख्या RBE 137/2022 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश जारी होने के पश्चात तमाम बुजुर्ग RELHS लाभार्थियों ने "संघ" से सम्पर्क कर बताया है कि उनके द्वारा FMA से OPD में जाने का विकल्प सम्बन्धित कार्यालयों में दिया जा रहा है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है, जिसके कारण बुजुर्ग पेंशनर को बहुत परेशानी हो रही है।

अतः अनुरोध है कि RELHS लाभार्थी के लिये एक विकल्प फार्म उपलब्ध कराया जाय ताकि पेंशनर उसे भर कर आसानी से FMA से OPD या OPD से FMA के विकल्प का उपयोग कर सके। इसी के साथ यह भी अनुरोध है कि ऐसे फार्म आनलाइन जमा कराने की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें ताकि 70—80 वर्ष के बुजुर्ग कर्मचारी/फैमिली पेंशनर को इस उम्र में कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से NCRES को भी जल्द अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री